संख्या–530/XI /07/56(89)/03

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर,2007

विषयः– विकास भवन, चम्पावत के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक–342/33–लेखा/वि0म0/2007–08, दिनांक 06 जुलाई, 2007 तथा शासनादेश संख्या–653/ग्रा0वि0एवं पंचायतीराज/2002, दिनांक 6 मार्च, 2002 जिसके द्वारा विकास भवन चम्पावत के निर्माण हेतु रू0 411.13 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन रू0 479.10 लाख का टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त रू0 446.14 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 35.01 लाख (रू0 पैंतीस लाख एक हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

2– उक्त धनराशि का आहरण यथा आवश्यक त्रैमासिक आधार पर कियाय जाय तथा पूर्व में आहरित धनराशि का कोई अंश यदि अनुप्रयुक्त रह जाता है तो उसका यपूर्ण रूप से समायोजन आगामी आहरण के समय पर कर लिया जाय, तथा स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही व्यय किया जाय।

3– उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि गत वर्ष स्वीकृत धनराशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के बाद धनराशि का व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथासमय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराये जाये।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों व नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाय तथा आवश्यक हो सक्षम अधिकारी का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

क्रमश पृष्ठ.....2

5- मुख्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई,2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

6-कार्य को पुनरीक्षित लागत में ही पूर्ण कर लिया जाय यतथा आगणन की लागत पुनः पुनरीक्षित लागत मान्य यनहीं होगी, साथ ही निर्माण इकाई को भविष्य के लिए यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि यदि स्थल पर उच्चाधिकारियों द्वारा कोई निर्देश परिवर्तन करने हेतु दिए जाते हैं तो शासन से पहले उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। बिना शासन की स्वीकृति के कार्य न कराया जाय।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2008 तक लिया जाय।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-आयोजनागत-91-जिला योजना-9101-जिला विकास कार्यालय के भवनों का निर्माण(जिला योजना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-117(पी)/वित्त अनु0-4/2007,दिनांक 20 सितम्बर,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव।

संख्या-530(1)/XI/07/56(89)/03-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2- आयुक्त, कुमायूं मण्डल,नैनीताल।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड,पौड़ी।
4. जिलाधिकारी ,चम्पावत/मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
6. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, चम्पावत।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्पावत।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
उप सचिव

26092007.pdf